छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 226 / 2006

श्री कुलजीत सिंह .... अपीलार्थी
ए–9, सूर्या विहार,
भिलाई–490020 (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय कलेक्टर,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(14 सितम्बर 2006)

श्री कुलजीत सिंह के द्वारा कलेक्टर, दुर्ग के आदेश दिनांक 07–03–2006 जिसके अनुसार कलेक्टर ने आवेदक को वांछित जानकारी भेजी उससे असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने सूर्या विहार कालोनी में एक मकान क्रय किया। मकान में कुछ खामियाँ थी, जिसकी इस संबंध में आवेदक ने भवन अधिकारी एवं नगर निगम, भिलाई को शिकायतें की। प्रस्तुत प्रकरण में उसके द्वारा बतलाया गया कि उसके भवन का निरीक्षण आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर्स ने किया था, उसके निरीक्षण की रिपोर्ट दी जावे। आवेदक के द्वारा आयोग में इस प्रकरण के अतिरिक्त शिकायत एवं अपीलें की गई हैं। कलेक्टर के द्वारा नगर निगम से रिपोर्ट मांगी गई। नगर निगम से प्राप्त जानकारी आवेदक को प्रदान की गई। प्रस्तुत प्रकरण में आयोग के द्वारा नगर निगम तथा नगरीय परियोजना अधिकारी श्री ए.के.चतुर्वेदी, कलेक्टर कार्यालय के जन सूचना अधिकारी श्री खान एवं श्री हेमंत चन्द्राकर, जन सूचना अधिकारी, नगर निगम उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा समय–समय पर भवन निर्माण से संबंधित शिकायतें की गई तथा सूचना का अधिकार के तहत भवन निर्माण से संबंधित जानकारियाँ ली गई। इस संबंध में अनेक जानकारियाँ नगर निगम से आवेदक को प्राप्त हो चुकी है। परियोजना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक को चाही गई जानकारी प्रदान की जा चुकी है। आवेदक भवन में दरार एवं क्षतिग्रस्त कारणों को लेकर सिविल न्यायालय में बिलटेक्स बिल्डर के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है।

अपीलार्थी ने एक अन्य प्रकरण भी आयोग के समक्ष शिकायत के रुप में दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण में आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये कि कलेक्टर द्वारा नगर

निगम, संबंधित बिल्डर तथा लोक निर्माण विभाग के भी यंत्री को मिलाकर संयुक्त टीम बनाकर इस संबंध में पूर्व में दिये गये तथाकथित फर्जी व झूठे प्रमाण–पत्रों की जाँच करावें तथा जो त्रुटिपूर्ण जानकारी आवेदक को दी गई है उसके स्थान पर सही जानकारी दिलवाई जावे। इस संबंध में त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जावे। जाँच के समय आवेदक को भी साथ रखा जावे।

चूँकि शिकायत प्रकरण क्रमांक–154/2006 में उक्त निर्देश दिये जा चुके हैं। अतः इस प्रकरण में उक्तानुसार कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। उक्त समिति प्रकरण में जाँच कर उपयुक्त कार्यवाही करेगी। चूंकि आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति बना दी गई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अपीलार्थी की अपील उक्त निर्देशों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्